कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 439/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 21.11.2026

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक– 21.11.2026
थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

◆ *थाना बरदह पुलिस की तत्परता से साइबर फ्रॉड की पूरी धनराशि ₹3,000 पीड़ित के खाते में वापस कराई गई।*

◆ *पीड़ित ने धनराशि वापस मिलने पर पुलिस की त्वरित कार्यवाही एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया।*

कृत कार्यवाही का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 09.06.2026 को अमन यादव पुत्र नगीना यादव निवासी ग्राम अहिरौली, थाना बरदह द्वारा इंस्टाग्राम पर ट्रेन टिकट बुकिंग का विज्ञापन देखकर ऑनलाइन टिकट बुक करने का प्रयास किया गया था। इसी दौरान अज्ञात साइबर अपराधी द्वारा टिकट बुकिंग के नाम पर ₹3,000 की धोखाधड़ी कर ली गई। पीड़ित द्वारा दिनांक 10.06.2026 को एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी।

थाना बरदह साइबर डेस्क द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी की पूरी धनराशि होल्ड कराई गई तथा मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल के माध्यम से ₹3,000 पीड़ित के खाते में वापस कराए गए। धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित ने थाना बरदह पुलिस का आभार व्यक्त किया।

पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार, उ0नि0 मनीष सिंह एवं म0आ0 आरती सिंह, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

आजमगढ़ पुलिस की अपील-

किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** पर कॉल करें अथवा आधिकारिक वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक– 21.11.2026
थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

थाना जहानागंज पुलिस द्वारा 03 वारंटी गिरफ्तार।

◆ वारंटियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानागंज पुलिस ने 03 वारंटियों को गिरफ्तार किया।

◆ गिरफ्तार वारंटियों में दो अभियुक्त एक ही मुकदमे तथा एक अभियुक्त एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांछित था।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर ईश्वर लाल गुर्जर के पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र के नेतृत्व में दिनांक 21.11.2026 को थाना जहानागंज पुलिस टीम द्वारा कुल 03 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारंटियों का विवरण—

1. दिनेश पुत्र श्यामनाथ निवासी ग्राम समसुद्दीनपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष, संबंधित एसटी संख्या 4759/24, अ0सं0 4114, धारा 325, 323, 504, 506 भादवि।
2. सुनील पुत्र लग्गन निवासी ग्राम समसुद्दीनपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 31 वर्ष, संबंधित एसटी संख्या 4759/24, अ0सं0 4114, धारा 325, 323, 504, 506 भादवि।
3. रामाकर सिंह पुत्र स्व0 रामपलट सिंह निवासी ग्राम किशुनपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 55 वर्ष, संबंधित मु0अ0सं0 484/22, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट।

गिरफ्तार तीनों वारंटियों को अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—
थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्र के नेतृत्व में थाना जहानागंज पुलिस टीम।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक– 21.11.2026
थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा 05 नफर वारण्टी गिरफ्तार

◆ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा अलग-अलग पुलिस टीमों ने कुल 05 नफर वारण्टियों को गिरफ्तार किया।

◆ गिरफ्तार वारण्टियों में 03 वारण्टी एक ही मुकदमे से संबंधित हैं। सभी वारण्टियों को माननीय न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-
आज दिनांक 21.11.2026 को थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय से जारी गिरफ्तारी अधिपत्र के क्रम में उ0नि0 नौशाद मय हमराह द्वारा 03 वारण्टी, उ0नि0 प्रदीप वाजपेयी मय हमराह द्वारा 01 वारण्टी तथा उ0नि0 आशुतोष मौर्य द्वारा 01 वारण्टी को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टियों का विवरण-
1. लालबचन उर्फ लालचन्द पुत्र रंगई निषाद निवासी ग्राम गुजरपार, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 52 वर्ष।
2. शिवबचन पुत्र रंगई निषाद निवासी ग्राम गुजरपार, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 50 वर्ष।
3. अशोक पुत्र जालिम निषाद निवासी ग्राम गुजरपार, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

4. राजेश राम पुत्र अनिल शर्मा निवासी ग्राम पिचरी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष।
5. सन्तू पुत्र मोती निवासी ग्राम महलिया, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 57 वर्ष।

विवरण अभियोग-

1. मु0नं0 3442/24, धारा 323, 504, 506, 392, 427, 452 भादवि, मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0-29, आजमगढ़। (वारण्टी लालबचन, शिवबचन एवं अशोक)
2. मु0नं0 180/08, धारा 323, 504, 506 भादवि, मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़। (वारण्टी राजेश राम)
3. मु0नं0 3039/24, धारा 323, 504, 506 भादवि, मा0 न्यायालय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0-29, आजमगढ़। (वारण्टी सन्तू)

गिरफ्तार सभी वारण्टियों को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक– 21.11.2026
थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

चैन स्नेचिंग का प्रयास करने वाली 02 महिला अभियुक्ता गिरफ्तार

◆ थाना बिलरियागंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मोलनापुर मोड़ नहर पुलिया के पास एक महिला के गले से सोने की चैन छीनने का प्रयास करने वाली 02 महिला अभियुक्ताओं को स्थानीय नागरिकों की मदद से मौके पर ही पकड़ लिया गया।

◆ सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस टीम द्वारा दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ताओं के विरुद्ध चोरी एवं छिनैती से संबंधित पूर्व के कई अभियोग भी पंजीकृत हैं।

घटना का विवरण-

दिनांक 20.11.2026 को थाना बिलरियागंज पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मोलनापुर मोड़ नहर पुलिया के पास दो महिलाओं द्वारा एक महिला के गले से सोने की चैन छीनने का प्रयास किया गया है। पीड़िता द्वारा शोर मचाने पर स्थानीय नागरिकों की सहायता से दोनों महिलाओं को मौके पर ही पकड़ लिया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

सूचना पर थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा एवं उ0नि0 संतोष कुमार पाठक मय पुलिस बल तथा महिला आरक्षियों के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। महिला पुलिसकर्मियों की सहायता से पूछताछ करने पर पकड़ी गई महिलाओं ने अपना नाम 1. मीरा पत्नी राजेश निवासी ग्राम बेलकुण्डा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष तथा 2. संध्या पत्नी अरुण निवासी ग्राम काखभार तेन्दुआ, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष बताया।
दोनों महिला अभियुक्ताओं को मु0अ0सं0 265/26 धारा 313, 134/62 बीएनएस के अंतर्गत अपराध का बोध कराते हुए दिनांक 20.11.2026 को समय करीब 16:30 बजे ग्राम मोलनापुर मोड़ नहर पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण-

1. मीरा पत्नी राजेश निवासी ग्राम बेलकुण्डा, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष।
2. संध्या पत्नी अरुण निवासी ग्राम काखभार तेन्दुआ, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 265/26 धारा 313, 134/62 बीएनएस, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मीरा पत्नी राजेश

1. मु0अ0सं0 481/22 धारा 34/392/411 भादवि, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 254/24 धारा 379 भादवि, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 102/19 धारा 379 भादवि व 4/25 आयुध अधिनियम, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 468/26 धारा 304(2)/3(5)/317(2) बीएनएस, थाना रुद्रपुर, जनपद देवरिया।
5. मु0अ0सं0 496/19 धारा 392 भादवि, थाना घोसी, जनपद मऊ।
6. मु0अ0सं0 265/26 धारा 313, 134/62 बीएनएस, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

2. संध्या पत्नी अरुण

1. मु0अ0सं0 159/22 धारा 379/411/34 भादवि, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 265/26 धारा 313, 134/62 बीएनएस, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 संतोष कुमार पाठक, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
3. का0 सतपाल सिंह, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
4. म0का0 नीलम देवी, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
5. रि0म0का0 हर्षिता द्विवेदी, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक– 21.11.2026
थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

थाना रानी की सराय पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी गिरफ्तार

◆ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानी की सराय पुलिस द्वारा अलग-अलग पुलिस टीमों ने 02 नफर वारण्टियों को गिरफ्तार किया।

◆ गिरफ्तार वारण्टी संजीव कुमार एवं अजय यादव को उनके घर पर दबिश देकर माननीय न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 21.11.2026 को उ0नि0 विनोद कुमार पाण्डेय मय हमराह का0 शैलेश कुमार त्रिपाठी एवं का0 सूरज सिंह द्वारा क्षेत्र भ्रमण एवं वारण्टियों की गिरफ्तारी के दौरान वारण्टी संजीव कुमार पुत्र रामदरश निवासी ग्राम नत्थूपुर, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़, संबंधित एसटी मु0नं0 32175/24, धारा 85/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट, न्यायालय एफटीसी (महिला), आजमगढ़ के गिरफ्तारी अधिपत्र के क्रम में उसके घर पर दबिश दी गई। मौके पर मौजूद मिलने पर वारंट दिखाकर समय करीब 06:00 बजे गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह ईगल मोबाइल हे0का0 धर्मराज भारती एवं का0 दुर्गेश सिंह द्वारा वारण्टी अजय यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी ग्राम कुकरही चकवारा, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़, संबंधित एसटी 48/2015, मु0अ0सं0 40/2015, धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट, न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, आजमगढ़ के गिरफ्तारी अधिपत्र के क्रम में उसके घर पर दबिश दी गई। मौके पर मौजूद मिलने पर वारंट दिखाकर समय करीब 05:20 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार दोनों वारण्टियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार वारण्टियों का विवरण-

1. संजीव कुमार पुत्र रामदरश निवासी ग्राम नत्थूपुर, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।
2. अजय यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी ग्राम कुकरही चकवारा, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

संबंधित अभियोग का विवरण-

1. एसटी मु0नं0 32175/24, धारा 85/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट।
2. एसटी 48/2015, मु0अ0सं0 40/2015, धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विनोद कुमार पाण्डेय।
2. का0 शैलेश कुमार त्रिपाठी।
3. का0 सूरज सिंह।
4. उ0नि0 ओमप्रकाश यादव।
5. हे0का0 धर्मराज भारती (ईगल मोबाइल)।
6. का0 दुर्गेश सिंह।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक– 21.11.2026
थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

◆ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट के अभियोगों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त मोबिन को गिरफ्तार किया गया।

◆ अभियुक्त अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु हत्या के प्रयास एवं जान से मारने की धमकी जैसे अपराधों में संलिप्त रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 21.11.2026 को थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह मय हमराह का0 शिवराम सरोज एवं म0का0 स्वाति द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 270/26 धारा 2(ख)(1), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में वांछित अभियुक्त मोबिन पुत्र अब्बास अली निवासी ग्राम चुड़िहार मोहल्ला, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ को मुखबिर की सूचना पर ग्राम छाऊ से समय करीब 11:30 बजे गिरफ्तार किया गया।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 06.04.2026 को ग्राम बेलऊ निवासी दिनेश राय द्वारा थाना गम्भीरपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि वह फरीदगंज बाजार स्थित अपनी दुकान पर बैठा था। इसी दौरान सचिन राय पुत्र रामलखन राय निवासी बेलऊ द्वारा सामान एवं रुपये मांगने तथा मना करने पर गाली-गलौज व मारपीट करते हुए लोहे की रॉड से जान से मारने की नीयत से सिर पर हमला किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 88/2026 धारा 109(1), 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरांत अभियुक्त सचिन राय के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

इसी प्रकार दिनांक 09.10.2025 को ग्राम कमरावां निवासी अब्दुल्ला द्वारा आरिफ पुत्र अब्दुल वहाब एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से बार-बार जान से मारने की धमकी देने के संबंध में शिकायत की गई थी। जिसके आधार पर मु0अ0सं0 288/2025 धारा 351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान सचिन राय एवं मोबिन पुत्र अब्बास अली के नाम प्रकाश में आए। विवेचना के उपरांत संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियुक्तों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए आपराधिक गतिविधियां किए जाने के आधार पर गैंगचार्ट अनुमोदन हेतु जिलाधिकारी आजमगढ़ के समक्ष प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 13.11.2026 को गैंगचार्ट अनुमोदित किए जाने के उपरांत थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 270/26 धारा 2(ख)(1), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मोबिन पुत्र अब्बास अली निवासी ग्राम चुड़िहार मोहल्ला, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 56 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 270/26 धारा 2(ख)(1), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 283/2025 धारा 351(2) बीएनएस, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 270/26 धारा 2(ख)(1), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. का0 शिवराम सरोज, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
3. म0का0 स्वाति, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक– 21.11.2026
थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा 05 नफर वारण्टी गिरफ्तार

◆ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा अलग-अलग पुलिस टीमों ने कुल 05 नफर वारण्टियों को गिरफ्तार किया।

◆ गिरफ्तार वारण्टियों में 01 वारण्टी एससी/एसटी एक्ट तथा 04 वारण्टी महिला संबंधी मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट (NBW) से संबंधित हैं।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 21.11.2026 को उ0नि0 विश्राम गुप्ता मय हमराह पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी एक्ट, आजमगढ़ से निर्गत मु0नं0 228/19, अ0सं0 45/18, धारा 323, 504, 506 भादवि एवं 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट से संबंधित वारण्टी अंकुर यादव उर्फ शिवम पुत्र फूलचन्द निवासी सिकन्दपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय करीब 04:25 बजे गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार मय पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय एफटीसी महिला, आजमगढ़ से निर्गत मु0नं0 24/22, धारा 498ए, 323, 406, 504, 506 भादवि एवं 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित 03 वारण्टीगण 1. शिवकुमार राजभर पुत्र वंशराज, 2. संतोष राजभर पुत्र वंशराज एवं 3. मीरा पत्नी शिवकुमार, निवासीगण भुडकुडा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ को उनके घर से समय करीब 08:15 बजे गिरफ्तार किया गया।

इसके अतिरिक्त उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार मय हमराह पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय एफटीसी महिला, आजमगढ़ से निर्गत मु0नं0 1460/20, धारा 498ए, 323, 504 भादवि एवं 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित वारण्टी जयकिशन पुत्र शिवनाथ निवासी कड़सरा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय करीब 09:55 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया। गिरफ्तार सभी वारण्टियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टियों का विवरण-

1. अंकुर यादव उर्फ शिवम पुत्र फूलचन्द निवासी सिकन्दपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।
2. शिवकुमार राजभर पुत्र वंशराज निवासी भुडकुडा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 52 वर्ष।
3. संतोष राजभर पुत्र वंशराज निवासी भुडकुडा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 42 वर्ष।
4. मीरा पत्नी शिवकुमार निवासी भुडकुडा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 50 वर्ष।

5. जयकिशन पुत्र शिवनाथ निवासी कड़सरा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 39 वर्ष।

संबंधित अभियोग का विवरण-

1. मु0नं0 228/19, अ0सं0 45/18, धारा 323, 504, 506 भादवि एवं 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट।
2. मु0नं0 24/22, धारा 498ए, 323, 406, 504, 506 भादवि एवं 3/4 डीपी एक्ट।
3. मु0नं0 1460/20, धारा 498ए, 323, 504 भादवि एवं 3/4 डीपी एक्ट।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

प्रथम टीम-

1. उ0नि0 विश्राम गुप्ता, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
2. का0 अभय कुमार गुप्ता, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
3. का0 महेश पटेल, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
4. म0का0 आराधना पटेल, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

द्वितीय टीम-

1. उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
2. का0 अतुल कुमार, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
3. का0 अमरजीत, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
4. म0का0 रंजना, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक– 21.11.2026

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

अभियान के दौरान 01 नफर वारण्टी गिरफ्तार

◆ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी गिरफ्तार।

◆ गिरफ्तार वारण्टी को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा चलाए जा रहे वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपराध नियंत्रण अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन तथा थानाध्यक्ष गम्भीरपुर श्री अमित कुमार त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 21.11.2026 को उ0नि0 सूरज चौधरी मय हमराह का0 धीरज सिंह द्वारा वारण्टी अभियुक्त मेवालाल पुत्र जगई निवासी ग्राम बसिरहा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 54 वर्ष को उसके घर से समय करीब 11:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता-

मेवालाल पुत्र जगई निवासी ग्राम बसिरहा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 54 वर्ष।

वारण्ट का विवरण-

मु0नं0 4455/2024, धारा 323, 504 भादवि, जयराम बनाम हरिश्चन्द्र, न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-23, आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सूरज चौधरी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. का0 धीरज सिंह, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक– 21.11.2026
थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

मंदिर की दान पेटिका तोड़कर चोरी करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के 452 रुपये बरामद

◆ थाना सरायमीर पुलिस द्वारा मंदिर की दान पेटिका तोड़कर रुपये चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

◆ अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 452 रुपये बरामद। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में विभिन्न थानों में चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी अधिनियम, आयुध अधिनियम एवं गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 20 अभियोग पंजीकृत हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.11.2026 को आवेदक लखन्दर यादव पुत्र अवधेश यादव निवासी करछा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना सरायमीर पर लिखित प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 19.11.2026 को समय करीब 12:44 बजे अज्ञात चोर द्वारा मंदिर में घुसकर दान पेटिका तोड़ दी गई तथा उसमें रखी धनराशि चोरी कर ली गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 284/2026 धारा 305 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की तलाश एवं गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 21.11.2026 को उ0नि0 विद्याकान्त सिंह मय हमराह द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग तथा वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि करछा मंदिर में चोरी करने वाला अभियुक्त बस्ती बाजार स्थित एक मंदिर के पास मौजूद है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा संदिग्ध व्यक्ति को भागने का अवसर दिए बिना पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम ज्ञानप्रकाश यादव उर्फ ज्ञानू पुत्र शोभनाथ यादव निवासी जगदीशपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 44 वर्ष बताया। जामा तलाशी के दौरान उसके कब्जे से चोरी के 452 रुपये बरामद हुए।

पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि दिनांक 19.11.2026 को दोपहर में करछा मंदिर की दान पेटिका से लगभग 1,200-1,300 रुपये चोरी किए थे, जिसमें से अधिकांश रुपये खाने-पीने में खर्च कर दिए तथा शेष 452 रुपये उसके पास

बचे थे। अभियुक्त ज्ञानप्रकाश यादव उर्फ ज्ञानू को मु0अ0सं0 284/2026 धारा 305/317(2) बीएनएस का बोध कराते हुए दिनांक 21.11.2026 को समय *प्रातः 08:30 बजे* गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. ज्ञानप्रकाश यादव उर्फ ज्ञानू पुत्र शोभनाथ यादव निवासी जगदीशपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 44 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 284/2026 धारा 305/317(2) बीएनएस, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

1. चोरी के 452 रुपये।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से विभिन्न थानों में कुल 20 अभियोग पंजीकृत हैं, जिनका विवरण निम्नवत है—

1. मु0अ0सं0 0135/2016 धारा 41/411 भादवि, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 0015/2018 धारा 174-ए भादवि, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 0051/2019, धाराएं अभिलेख में स्पष्ट नहीं, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 0052/2019 धारा 20/8 एनडीपीएस एक्ट, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 0234/2020 धारा 20/8 एनडीपीएस एक्ट, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 0178/2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम एवं 272/273 भादवि, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 0350/2022 धारा 379/411 भादवि, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0 0355/2022 धारा 411/414/420/473 भादवि, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
9. मु0अ0सं0 0356/2022 धारा 25/3 आयुध अधिनियम, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
10. मु0अ0सं0 0340/2024 धारा 382/383/411/457 भादवि, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
11. मु0अ0सं0 0358/2024 धारा 379/411 भादवि, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
12. मु0अ0सं0 0364/2024 धारा 25/3 आयुध अधिनियम, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
13. मु0अ0सं0 0445/2024 धारा 2(b)(i)/3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
14. मु0अ0सं0 0120/2006 धारा 120बी/384/506 भादवि एवं धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना गंभीरपुर, आजमगढ़।
15. मु0अ0सं0 0081/2014 धारा 110(जी) दण्ड प्रक्रिया संहिता, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
16. मु0अ0सं0 0143/2011 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
17. मु0अ0सं0 0263/2005 धारा 392/392/411 भादवि, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
18. मु0अ0सं0 0379/2011 धारा 3/3/4/4 उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
19. मु0अ0सं0 0428/2013 धारा 3/3/4/4 उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
20. मु0अ0सं0 89/2022 धारा 379/411 भादवि, थाना जलालपुर, जनपद अम्बेडकरनगर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विद्याकान्त सिंह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 दिलीप सिंह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
3. का0 सूरज पाण्डेय, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।


उत्तर प्रदेश पुलिस